बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

**श्री लक्ष्मेश्वर राय, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 29.01.2020 को आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के सभागार में सभी अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन/ प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, बिहार के साथ आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।**

उपस्थिति : यथा संधारित।

2. **अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा** बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यावली के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गयी।

3. **माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग का संबोधन** : मान्नीय मंत्री द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया गया कि आपदा प्रबंधन का विषय राज्य के निवासियों के जानमाल एवं सुरक्षा से सीधे जुड़े होने के कारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को ससमय राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। अतः आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को अत्यन्त संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। माननीय मंत्री द्वारा इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की गई कि राज्य में आने वाले आपदाओं, विशेषकर गत वर्ष आयी बाढ़, के दौरान जिलों द्वारा काफी चुस्ती एवं तत्परता के साथ कार्य किया गया है। परन्तु, इसे और बेहतर किये जाने की आवश्यकता है। आपदा से पीड़ित व्यक्त्यिों को जो भी सुविधायें राज्य सरकार की ओर से देय हैं, वे सही समय पर उन्हें मिल जाय, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके द्वारा आपदा से पीड़ित परिवारों को देय अनुदान के भुगतान के सभी लंबित मामलों की अविलंब समीक्षा कर निष्पादन करने का निदेश सभी उपस्थित पदाधिकारियों को दिया गया।

4. **भारत मौसम विज्ञान विभाग का प्रस्तुतिकरण** : निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पटना के द्वारा बताया गया कि उनके संस्थान द्वारा मुख्य रूप से निम्न प्रकार के मौसम पूर्वानुमान जारी किये जाते हैंः–

i. **Nowcast Weather Warning** : इस प्रकार की चेतावनी अगले 3–12 घंटे के लिए जारी की जाती है, जो Location specific होता है एवं जिसके घटित होने की संभावना काफी अधिक (Very High) होती है।

ii. **Short Range Forecast :** इस प्रकार का पूर्वानुमान अगले 72 घंटों के लिए जारी किया जाता है, जो Locaction/District/State/Met Sub-division specific होता है एवं जिसके घटित होने की संभावना अधिक (High) होती है।

iii. **Medium Range Forecast :** इस प्रकार का पूर्वानुमान अगले 3–10 दिनों के लिए जारी किया जाता है, जो City & District specific होता है एवं जिसके घटित होने की संभावना मध्यम से अधिक तक (Moderate to High) होती है।

iv. **Extended Range Forecast :** इस प्रकार का पूर्वानुमान अगले 15–30 दिनों के लिए जारी किया जाता है, जो Met Sub-division/State/Homogeneous Region के लिए होता है एवं जिसके घटित होने की संभावना मध्यम (Moderate) होती है।

v. **Long Range Forecast :** इस प्रकार का दीर्घकालिक पूर्वानुमान Winter Season, Pre-Monsoon Season एवं Monsoon Season के लिए जारी किया जाता है, जो Homogeneous regions/Country के लिए जारी किया जाता है एवं जिसके घटित होने की संभावना अधिक (High) होती है।

निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा बताया गया कि Threshold minimum एवं maximum temperature के आधार पर Dengu Virus एवं Malaria (Plasmodium vivax) के पनपने की संभावना के संबंध में भी पूर्वानुमान व्यक्त किया जाता है, इससे डेंगू एवं मलेरिया के नियंत्रण में सहायता मिल सकती है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि Standardized Precipitation Index Products से संबंधित आंकड़े भी जारी किये जा रहे हैं, जिसका उपयोग सुखाड़ की समीक्षा में की जाती है।

- प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, जिला–बक्सर के द्वारा बताया गया कि Nowcast warning को और अधिक Location specific (यथा Block/Panchyat Specific) बनाने की आवश्यकता है ताकि जो क्षेत्र वास्तव में प्रभावित होंगे उनपर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया कि Nowcast warning को और अधिक Location specific बनाने के संबंध में प्रयास किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किये गये Nowcast warning पर जिलों से मिलने वाले फीडबैक से और बेहतर परिणाम मिलने की संभावना व्यक्त की गयी। उनके द्वारा मौसम विज्ञान से संबंधित विभिन्न विभागों के आंकड़ों को साझा करने की अपेक्षा की गयी।

5. **वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का प्रस्तुतिकरण** : अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बताया गया कि बिहार में वज्रपात से होने वाले मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा Earth Networks, Inc कम्पनी के सहयोग से राज्य में वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गयी है।

- इसके तहत उक्त कम्पनी के द्वारा राज्य में 7 स्थानों पर (पटना, सासाराम, नवादा, खगड़िया, पूर्णियाँ, दरभंगा एवं पूर्वी चम्पारण) वज्रपात पूर्व चेतावनी प्रणाली से संबंधित सेंसर एवं अन्य उपकरणों को अधिष्ठापित किया गया है।
- राज्य में किसी भी स्थान विशेष पर वज्रपात (Dangerous Thunderstorm and Lightning) होने की सूचना अर्थ नेटवर्क कम्पनी के द्वारा राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को 30 से 45 मिनट पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्राप्त चेतावनी को प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लोगों तक बल्क एस०एम०एस०/सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भेज कर उन्हें Alert किया जा सकता है। इस संबंध में विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।
- वज्रपात आपदा से संबंधित चेतावनी को लोगों तक भेजने हेतु विभाग द्वारा एक Mobile App इन्द्रवज्र Indravajra का निर्माण भी कराया गया है। इस ऐप को स्मार्टफोन मोबाईल पर Google Play Store से असानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस मोबाईल ऐप को डाउनलोड करने वाले स्मार्टफोन यूजर्स के

लोकेशन के आस–पास Dangerous Thunderstorm and Lightning होने की स्थिति में उन्हें Alert notification प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप वे अपने–आप को सुरक्षित कर सकेंगे।

इन्द्रवज्र मोबाईल ऐप को डाउनलोड एवं इंस्टॉल करने हेतु सभी पदाधिकारियों को Step by Step जानकारी दी गयी।

***प्रधान सचिव के द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारी को इन्द्रवज्र मोबाईल ऐप को डाउनलोड करने एवं इसका अत्यधिक प्रचार प्रसार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से आम–जनता के बीच करने का निदेश दिया गया।***

***प्रधान सचिव द्वारा आशा व्यक्त किया गया कि राज्य में स्थापित की गयी वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली से वज्रपात से होने वाली मृत्यु दर में कमी आयेगी।***

6. **लू (Heat Wave) से बचाव हेतु पूर्व तैयारी से संबंधित प्रस्तुतिकरण :** विभाग द्वारा लू से बचाव हेतु की जाने वाली पूर्व तैयारी से संबंधित विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मानव एवं पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था, सभी सरकारी अस्पतालों में प्रभावित व्यकित्यों के इलाज हेतु विशेष व्यवस्था, Static एवं Mobile चिकित्सा दल तथा आवश्यकतानुसार अस्पतालों में Isolation Ward की व्यवस्था, स्कूली बच्चों, आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा श्रमिकों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएं शामिल है। इसके अतिरिक्त लू चलने की अवधि में सार्वजनिक परिवहन की वाहनों के परिचालन अवधि को नियंत्रित करने एवं उक्त वाहनों पर पेयजल, ORS के साथ–साथ प्राथमिक उपचार की व्यवस्था पर भी बल दिया गया। लू से बचाव हेतु "क्या करें" तथा "क्या न करें" का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने की आवश्यकता को भी रेखाकित किया गया।

प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि गत वर्ष लू के कारण गया, नवादा एवं औरंगाबाद जिलों में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु प्रतिवेदित की गयी थी। अतः इस वर्ष इस संबंध में विशेष सतर्कता एवं तैयारी की आवश्यकता है। उनके द्वारा गर्मी में दैनिक तापमान एवं IMD द्वारा निर्गत लू संबंधी Alert पर लगातार निगरानी रखने तथा लू की स्थिति बनने पर विभिन्न लाईन विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई का सतत् अनुश्रवण का निदेश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया। साथ ही गर्मी के दिनों में लू से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन प्रतिदिन संध्या 4.00 बजे तक राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

7. **स्थानीय प्रकृति की आपदा के अंतर्गत लंबित मामलों में भुगतान की स्थिति :** विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सभी जिलों को आवंटित राशि एवं निकासी की प्रतिशत के संबंध में अवगत कराया गया। जिलों से आये पदाधिकारियों के द्वारा लंबित मामलों के भुगतान हेतु राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया तथा अपने–अपने जिलों के आवश्यकता को बताया गया।

***प्रधान सचिव के द्वारा बजट शाखा को जिलों द्वारा बतायी गयी आवश्यकता के अनुरूप राशि अतिशीघ्र आवंटित करने का निदेश दिया गया।***

8. **बाढ़ 2019 में प्रभावित परिवारों को PFMS के माध्यम से GR वितरण की समीक्षा :** विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से माह–जुलाई एवं माह–सितम्बर, 2019 में आयी बाढ़ के आलोक में प्रभावित परिवारों को आनुग्रहिक राहत (GR) वितरण की स्थिति के संबंध में जानकारी दी गयी। उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बताया गया कि बाढ़ प्रथम फेज में अबतक 26,18,275 परिवारों को 6,000/–रूपये की दर से कुल 1570.79 करोड़ रूपये तथा बाढ़ द्वितीय फेज में अबतक 7,15,524 परिवारों को कुल 429.31 करोड़ रूपये वितरित किया जा चुका है।

उपस्थित कुछ पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उनके जिले में अभी भी कुछ मामले जी0आर0 के भुगतान हेतु लंबित है। कुछ ऐसे भी मामले है, जिन्हें बैंक खाते की संख्या/ IFSC, इत्यादि में गड़बड़ी होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके त्रुटि निराकरण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

***प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि योग्य लाभुकों को भुगतान किया जाय तथा एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर भुगतान करने हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।***

9. **वित्तीय वर्ष 2019–20 में मदवार आवंटित राशि के विरूद्ध जिलों द्वारा किये गये निकासी की समीक्षा :**

विभाग द्वारा विभिन्न मदों में जिलों को आवंटित की गयी राशि से संबंधित प्रस्तुतिकरण किया गया।

***प्रधान सचिव द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुये शीघ्र राशि का व्यय कर व्यय प्रतिवेदन भेजने तथा अव्यवहृत राशि का प्रत्यर्पण करने का निदेश दिया गया।***

10. **अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय निधि की निकासी एवं इसके व्यय तथा सामंजन की समीक्षा :**

विभाग द्वारा बताया गया कि पूर्व वित्तीय वर्ष में आपदा के स्थिति को देखते हुये आकस्मिकता से निपटने हेतु प्रत्येक जिला को 40.00 लाख रूपये की दर से स्थाई अग्रिम चक्रीय निधि के रूप में उपलब्ध कराया गया था। विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि इसकी निकासी हेतु आवंटन की आवश्यकता नहीं है। मात्र CFMS के माध्यम से विपत्र तैयार कर कोषागार को निकासी हेतु भेजा जाना है। राशि के निकासी के उपरांत इसे PFMS हेतु प्रत्येक जिले में खोले गये ICICI के बैंक खाते में रखा जाना है, जिससे मृतक के आश्रित को 4.00 लाख रूपये के दर से भुगतान करना है। विभाग से इस मद में प्राप्त आवंटन से इसका समायोजन किया जाना है, जिससे बैंक खाते में हमेशा 40.00 लाख रूपये उपलब्ध रहे।

***प्रधान सचिव के द्वारा निदेश दिया गया कि जिन जिलों के द्वारा राशि की निकासी नहीं की गयी है, वे शीघ्र राशि की निकासी कर लें।***

11. **तत्काल सहायता के अंतर्गत भुगतान की समीक्षा :**

विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभिन्न जिलों द्वारा PFMS के माध्यम से प्रभावित परिवारों को किये गये भुगतान की स्थिति से अवगत कराया गया तथा बताया गया कि जो पंचायत तत्काल सहायता के अंतर्गत आच्छादित है तथा वे बाढ़ से भी प्रभावित हुये

हैं, वैसे परिवारों को तत्काल सहायता की राशि 3000/–रूपये के अतिरिक्त GR की 3000/–रूपये भी दी जानी है। कुछ जिलों के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता की राशि 3000/–रूपये के अतिरिक्त GR की 3000/–रूपये PFMS से हस्तांतरित करने में समस्या आ रही है।

NIC के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि तत्काल सहायता के अंतर्गत आच्छादित वैसे परिवार जो बाढ़ से भी प्रभावित हुए हैं, उनका डाटा NIC के सम्पूर्ति पोर्टल के GR Section में पुनः इन्ट्री जिला के द्वारा करवानी होगी।

***प्रधान सचिव के द्वारा ऐसे मामलों में विशेष ध्यान देकर भुगतान हेतु समस्या का शीघ्र निराकरण हेतु उपस्थित सभी पदाधिकारियों को दिया गया।***

**12. लंबित ए0सी0 विपत्रों के समायोजन/ उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समीक्षा :**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल ₹1417.33 करोड़ का ए0सी0 विपत्र समायोजन हेतु लंबित है। इसी प्रकार कुल ₹292.96 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभिन्न जिलों से अप्राप्त हैं। वैसे पांच जिले जहाँ ए0सी0 विपत्र/ उपयोगिता प्रमाण पत्र की सर्वाधिक राशि समायोजन हेतु लंबित वे निम्न है : –

| लंबित ए0सी0 विपत्र | |
|---|---|
| **जिला** | **राशि (करोड़ रू0 में)** |
| अररिया | 310.83 |
| कटिहार | 296.16 |
| पूर्वीचम्पारण | 173.08 |
| किशनगंज | 162.28 |
| मधुबनी | 115.41 |

| लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र | |
|---|---|
| **जिला** | **राशि (करोड़ रू0 में)** |
| पूर्णियाँ | 186.20 |
| अररिया | 66.07 |
| सारण | 23.86 |
| मुंगेर | 7.50 |
| कटिहार | 1.89 |

निदेश दिया गया कि सभी संबंधित जिला पदाधिकारी स्वयं अपने स्तर से स्थिति की समीक्षा कर लें एवं लंबित ए0सी0 विपत्रों/ उपयोगिता प्रमाण पत्र में सन्निहित राशि का शीघ्र समायोजन कराना सुनिश्चित करें।

**13. इसरो (ISRO) द्वारा तैयार किये गये Flood Hazard Map एवं Village List का भौतिक सत्यापन**

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि :

1. इसरो (ISRO) द्वारा वर्ष 1998 से 2019 तक के सैटेलाईट डाटा का उपयोग करते हुए राज्यस्तर एवं जिलास्तर का Flood Hazard Map का प्रारूप एवं Flood Hazard Classification के आधार पर Village List तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

2. Flood Hazard Map का प्रारूप एवं Flood Hazard Classification के आधार पर Village List का जमीनी स्तर पर सत्यापन हेतु विभागीय पत्रांक–232, दिनांक–22.01.2020 द्वारा Flood Hazard Map एवं Village List सभी जिलों को भेजते हुए प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, परन्तु अबतक मात्र कटिहार, पश्चिम चम्पारण, पूर्णियाँ एवं सिवान से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

***प्रधान सचिव द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।***

**14. बाढ़ के दौरान देशी नावों की व्यवस्था**

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि बाढ़ के दौरान आबादी निष्क्रमण एवं आवागमन को सुचारू बनाने हेतु देशी नावों की आवश्यकता होती है। देशी नावों के क्रय हेतु जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभाग द्वारा राशि आवंटित की जाती रही है, परन्तु समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिलों में सरकारी नावों के रख–रखाव की समुचित व्यवस्था के अभाव में सरकारी नावें अपेक्षाकृत अल्प अवधि में क्षति ग्रस्त हो जाती है। फलस्वरूप बाढ़ के दौरान जिलों में परिचालन योग्य सरकारी नावों के अभाव का सामना करना पड़ता है। अतः विभाग द्वारा यह महसुस किया जा रहा है कि सरकारी नावों के स्थान पर निजी नावों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई का प्रस्ताव है, जिसपर गहन चर्चा की आवश्यकता है।

- आवश्यकतानुरूप पर्याप्त संख्या में निजी देशी नावों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर प्रयास केन्द्रित किया जाय।
- इसके लिए निजी नाव मालिकों के साथ इस आशय का एकरारनामा किया जाय कि मॉनसून अवधि के दौरान 1ली जुलाई से 30 सितम्बर तक वे अपनी नाव (परिचालन योग्य एवं अच्छी स्थिति में) जिला प्रशासन को तीन माह के लिए एकमुश्त निर्धारित भाड़ा पर उपलब्ध करायेंगे।
- भाड़े का निर्धारण संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा किया जायेगा, जो अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर अपने स्तर से प्रत्येक जिले में निजी नावों (छोटी, मंझौली एवं बड़ी) को निर्धारित संख्या में रखने की अनुमति देंगे एवं नावों (छोटी, मंझौली एवं बड़ी) के भाड़े का निर्धारण अपने प्रमंडल के सभी जिलों के लिए समान रूप से करेंगे।
- उक्त अवधि के दौरान भाड़े पर लिये गये नावों की देख–रेख एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी संबंधित नाव मालिकों की होगी।
- उन्हीं नाव मालिकों के साथ एकरारनामा किया जायेगा, जिनके नावों का निबंधन हो तथा सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों।

- उक्त अवधि के दौरान बाढ़ की स्थिति में अथवा आवागमन हेतु यदि भाड़ा पर लिये गये निजी नाव के परिचालन की आवश्यकता होती है, तो नाविक की व्यवस्था भी संबंधित नाव मालिक के द्वारा ही की जायेगी।
- नाविकों की मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्राईवेट फेरीज एवं एल0टी0सी के कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए निधारित मजदूरी संबंधी अधिसूचना के अनुसार किया जायेगा।
- प्रत्येक नाव के लिए अलग–अलग लॉगबुक खोला जायेगा, जो नाव पर ही उपलब्ध रहेगा।
- लॉगबुक का सत्यापन प्रत्येक तीन दिन में एक बार हल्का कर्मचारी अथवा अंचल अधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मी के द्वारा किया जायेगा।
- निजी नाव के भाड़े एवं नाविकों की मजदूरी का भुगतान आबादी निष्क्रमण मद से सप्ताहिक रूप से किया जायेगा।
- नाविकों की मजदूरी का भुगतान नावों के वास्तविक परिचालन अवधि/दिवस के आधार पर किया जायेगा।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि जिलों में सरकारी नावों के रख–रखाव की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सरकारी नाव अल्प अवधि में ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फलस्वरूप निजी नावों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इस नीति से जहाँ एक ओर बाढ़ के समय अपेक्षित संख्या में देशी नावों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर नाव निर्माण में लगे व्यक्तियों एवं नाविकों की आजीविका एवं आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। विचार–विमर्श के क्रम में निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए :

I. बाढ़ नहीं आने की स्थिति में भी 1ली जुलाई से 30 सितम्बर तक की अवधि के लिए नावों को भाड़ा पर रखने से राशि का व्यय होगा।

***प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि सरकार का नीतिगत फैसला होने के उपरांत इस संबंध में कठिनाई नहीं होगी।***

II. भाड़ा अवधि अर्थात 1ली जुलाई से 30 सितम्बर तक नाव मालिक अपने नाव का व्यवसायिक इस्तेमाल (commercial use) न करें, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस बिन्दु पर विमर्श के दौरान कई पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि नावों पर लाल झंडा लगा कर अथवा नावों पर "आमजनों के परिवहन हेतु सरकार द्वारा मुफ्त व्यवस्था" आदि अंकित कर भाड़ा पर लिये गये नावों के व्यवसायिक इस्तेमाल को नियंत्रित किया जा सकता है।

III. कुछ पदाधिकारियों द्वारा अनुरोध किया गया कि नावों के आकार के अनुरूप नावों के भाड़े एवं प्रत्येक जिला के लिए भाड़े पर रखे जाने वाले नावों की संख्या का निर्धारण विभाग के स्तर पर किया जाना चाहिए।

इस बिन्दु पर विमर्श के दौरान कई पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रत्येक जिला में निजी नावों की उपलब्धता एवं बाढ़ के दौरान नावों की आवश्यकता भिन्न–भिन्न होती है। अतः प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर ही नाव भाड़े एवं प्रत्येक जिला के लिए भाड़े पर रखे जाने वाले नावों की संख्या का निर्धारण करना उचित होगा, ताकि एक प्रमंडल में नाव का भाड़ा में एकरूपता हो।

IV. कुछ पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि उन्हीं नाव मालिकों के साथ एकरारनामा किया जाना चाहिए जो आदर्श नौका संचालन नियमावली 2011 के अंतर्गत निबंधित हों एवं उक्त नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन करते हों।

***प्रधान सचिव द्वारा उपरोक्त सुझावों के आलोक में समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।***

**15. विभाग द्वारा आवंटित राशि के विरूद्ध प्राप्त व्यय प्रतिवेदन की समीक्षाः**

निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा आवंटित राशि के विरूद्ध लंबित व्यय प्रतिवेदन अतिशीघ्र समर्पित करें।

16. अन्यान्य

I. अपर समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा बाढ़ वर्ष 2019 में चलाये गये सामुदायिक किचेन हेतु उपयोग किये गये चावल के समायोजन हेतु खाद्यान्न आवंटित करने अनुरोध किया गया।

***प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि सामुदायिक किचेन हेतु उपयोग किये गये चावल के बदले राशि की गणना कर विभाग से राशि की अधियाचना की जाय।***

II. प्रभारी आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा बताया गया कि बाढ़ वर्ष 2019 में आये बाढ़ से तटबंधों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कुछ स्थानों पर आवासीय मकान पूर्णत क्षतिग्रस्त हो गये एवं वहाँ बड़े–बड़े गड्डे बन गये हैं। फलस्वरूप उक्त स्थानों पर विभागीय निदेश के आलोक में गृहक्षति भुगतान हेतु फोटोग्राफी करना संभव नहीं है।

***प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निदेशित किया गया कि इस प्रकार के मामलों में फोटाग्राफी करना आवश्यक नहीं है, जिला पदाधिकारी द्वारा जांचोपरांत संतुष्ट होकर गृहक्षति अनुदान भुगतान की कार्रवाई की जा सकती है।***

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ................/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(एम0 रामचन्द्रुडु)

अपर सचिव

ज्ञापांक ....547/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–20/02/2020

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0, बिहटा, पटना/ आई0टी0 मैनेजर (अपलोड करने हेतु), आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/2020

(एम0 रामचन्द्रुडु)

अपर सचिव